

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 23 सितम्बर, 2009

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2009 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय लिया है कि आयोग की परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों द्वारा इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 03 नवम्बर से 07 नवम्बर, 2009 तक किया जाएगा । सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन दिनांक 03 नवम्बर, 2009 को प्रातः 11 बजे प्रतिज्ञा लेने (प्रति संलग्न) के साथ आरंभ किया जाना चाहिए ।

2. आयोग का यह दृष्टिकोण है कि सतर्कता प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निवारक तकनीकें विकसित करना तथा उनका प्रभावकारी कार्यान्वयन है जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्यायपूर्ण व्यवहार, वास्तविकता तथा समय पर प्रतिक्रिया करना शामिल है । सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उपयोग, प्रणाली सुधारों के माध्यम से किए गए प्रभावकारी निवारक उपायों तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में जागरूकता का प्रचार करने के अवसर के रूप में करना चाहिए ।

3. पिछले काफी समय से आयोग, कार्यों के सभी क्षेत्रों के संबंध में, सभी संगठनों/विभागों द्वारा प्रौद्योगिकी के उत्थान के माध्यम से निवारक सतर्कता की भूमिका पर दृढ़ता से बल दे रहा है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, सेवाएं देने के लिए विद्यमान सभी प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को, प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसे विक्रेताओं, आपूर्तिकारों आदि को ई-भुगतान करना, वेबसाइट पर निविदाओं का पूर्ण विवरण देना, ई-प्रापण, विपरीतता निलामी तथा नागरिकों/लोगों आदि को आवेदनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने के माध्यम से तुल्यकालन किया जाना है । प्रत्येक संगठन/विभाग द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए ।

4. सप्ताह का अनुपालन किस तरीके से किया गया इसके बारे में रिपोर्ट प्रत्येक संगठन द्वारा 01 दिसम्बर, 2009 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए ।

5. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट <http://cvc.nic.in> पर भी उपलब्ध है ।

ह0/-
(के.एस. रामसुब्बन)
सचिव

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के मुख्य कार्यपालक ।
6. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उद्यमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।